

**राजस्थान सरकार**  
**सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग**  
**आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर**

क्रमांक :- एफ.2(7475)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/18/01714/2018 जयपुर, दिनांक 05/07/2018

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

| क्र.सं. | नाम एवं पद                              | पदस्थापित विभाग                                                                                                           | परीक्षा का नाम                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | श्रीमती मेघा शर्मा,<br>सहायक प्रोग्रामर | राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड,<br>जयपुर                                                                                 | 1. RPSC – RAS 2018                                                                                                                                                                                                             |
| 2.      | श्री भाविक पारगी,<br>सहायक प्रोग्रामर   | कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर<br>(उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी<br>और संचार विभाग, पंचायत<br>समिति-कुशलगढ़, बांसवाड़ा  | 1. RPSC – Sr. Teacher GrII Comp. 2018 (Sec.<br>Edu. Dept.) Non-TSP- English, Social Science<br>2. RPSC – Sr. Teacher GrII Comp. 2018 (Sec.<br>Edu. Dept.) TSP- Social Science, English                                         |
| 3.      | श्री यशवंत सिंह,<br>सूचना सहायक         | सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक<br>मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)<br>उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं                                      | 1. RSMSSB – उद्योग प्रसार अधिकारी प्रतियोगी<br>परीक्षा 2018<br>2. RPSC – राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं<br>(संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018-2019)                                                                            |
| 4.      | श्री योगेश यादव,<br>सूचना सहायक         | कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण<br>अधिकारी, जहाजपुर<br>जिला-भीलवाड़ा                                                       | 1. RPSC – RAS (Pre.) Exam-2018<br>2. RSMSSB – Tax Assistant Exam - 2018                                                                                                                                                        |
| 5.      | श्री विजय पाल,<br>सूचना सहायक           | सहायक निदेशक लोक सेवाएं,<br>कलक्टर श्रीगंगानगर                                                                            | 1. RPSC – स्कूल व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) 2018<br>(विषय इतिहास)<br>2. RPSC – स्कूल व्याख्याता 2018 (संस्कृत विभाग)<br>विषय इतिहास<br>3. RPSC – वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय, स्कूल शिक्षा<br>विभाग 2018 (विषय सामाजिक विज्ञान) |
| 6.      | श्री विरेन्द्र वागोरिया,<br>सूचना सहायक | कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर<br>(उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी<br>और संचार विभाग, पंचायत<br>समिति-चितलवाना, जालोर     | 1. UPSC – Civil Service Exam                                                                                                                                                                                                   |
| 7.      | श्री विनोद प्रजापत,<br>सूचना सहायक      | कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर<br>(उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी<br>और संचार विभाग, पंचायत<br>समिति-सेखला, जोधपुर       | 1. SSC - CGL 2018                                                                                                                                                                                                              |
| 8.      | श्री विजय बरिया,<br>सूचना सहायक         | कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर<br>(उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी<br>और संचार विभाग, डूंगरपुर                            | 1. RSMSSB – Junior Instructor<br>2. RPSC – RAS<br>3. RPSC – V.P. ITI & Group Instructor                                                                                                                                        |
| 9.      | श्री विकास साहू,<br>सूचना सहायक         | कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर<br>(उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी<br>और संचार विभाग, पंचायत<br>समिति-बिछीवाड़ा, डूंगरपुर | 1. MPPSC – ACF and Forest Ranger                                                                                                                                                                                               |

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

A

Contd...



5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— sd —

(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
- ✓ 3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

P

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव



राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:— एफ.2(7304)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/17 101723/2018

जयपुर, दिनांक 05/07/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री गोपाल शर्मा, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है।

| क्र.सं. | परीक्षा का नाम                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1       | RPSC द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018        |
| 2       | RPSC द्वारा आयोजित अध्यापक ग्रेड-II                           |
| 3       | RSMSSB द्वारा आयोजित महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018      |
| 4       | RSMSSB द्वारा आयोजित लाईब्रेरियन ग्रेड-III                    |
| 5       | RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2018 |
| 6       | RPSC द्वारा आयोजित आरएसएस भर्ती परीक्षा 2018                  |

श्री गोपाल शर्मा, सूचना सहायक को उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:—

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (045), कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दूदू, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्री गोपाल शर्मा, सूचना सहायक, कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दूदू, जयपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(5939) / डी.ओ.आई. टी./संस्था / 14/01650/2018 जयपुर, दिनांक 03/07/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमती अर्चना, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्रीमती अर्चना, सूचना सहायक को RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC) AND SUPERVISOR (WOMEN EMPOWERMENT DEPTT.) EXAM-2018(RSMSSB) की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

प

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्रीमती अर्चना, सूचना सहायक, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

प

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव